

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

—:—

क्रमांक 1235/1783/चार/ब-1/2016  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/12/2016

शासन के समस्त विभाग,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
मध्य प्रदेश ।

विषय: कय पर प्रतिबंध वर्ष 2016

—:—

वित्तीय वर्ष के अंतिम माहों में जल्दबाजी में कय की कार्यवाही करने पर निर्धारित प्रक्रिया एवं वित्तीय अनुशासन में चूक होने की संभावना रहती है, जिसके कारण शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंतिम माहों में कय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकमित करते हुए राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-  
15 दिसम्बर, 2016 के बाद कय पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा जाये। कय पर पूर्ण प्रतिबंध के फलस्वरूप दिनांक 15 दिसम्बर, से वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक कय के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त शक्तियाँ अधिकमित रहेंगी। यह प्रतिबंध लघु उद्योग निगम एवं सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कय की जाने वाली सामग्री पर भी लागू रहेगा, परन्तु यह प्रतिबंध निम्नलिखित मदों में लागू नहीं होगा:-

- (एक) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं / केन्द्र सहायतित योजनाएं, पेयजल से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं गृह विभाग के अन्तर्गत आयोजनेतर मद में प्राप्त केन्द्रीय अनुदान।
  - (दो) जिन प्रकरणों में कय हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कय आदेश दिनांक 15 दिसम्बर, के पूर्व कार्यालय द्वारा जारी किया जा चुका है, भले ही कय सामग्री 15 दिसम्बर, के पश्चात् प्राप्त हो।
  - (तीन) ऐसे प्रकरण जिनमें छात्रावास, आश्रम, विद्यालय, अस्पताल, जेल, पशु चिकित्सालय, आंगनवाड़ी के संचालन हेतु आवश्यक दवाईयों एवं खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु कय किया जाना हो।
  - (चार) रुपये 5,000/- तक डाक टिकिट एवं आकस्मिक व्यय।
  - (पांच) शासकीय प्रेस के डायरी एवं कैलेंडर।
  - (छ) विभागों की आयोजना मदों में प्रावधानित राशि से संबंधित कय इस प्रतिबंध से शिथिल रहेंगी तथा भण्डार कय नियमों का पालन करना संबंधित विभागों का उत्तरदायित्व होगा।
3. उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से ही किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(11)

(अजीत कुमार)  
संचालक बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


निरन्तर-2

पृ० क०/२३६/१७८३/चार/ब-१/२०१६

भोपाल, दिनांक १९ /१२/२०१६

प्रतिलिपि:-

- १- महालेखाकार मध्यप्रदेश, (लेखा/आडिट) ग्वालियर, भोपाल की ओर ५० अतिरिक्त प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
- २- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार समस्त कोषालय एवं उप कोषालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- ३- वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/ बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। साथ ही विभिन्न विभागों से प्रतिबंध से छूट संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण संबंधित बजट शाखाओं द्वारा प्रकरण के गुण दोषों के आधार पर कर उपयुक्त निर्णय लिया जाय।
- ४- गार्ड फाइल ।

  
( मनोज कुमार जैन )

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग